

इसे वेबसाईट www.govtprintmp.nic.in से
भी डाउन लोड किया जा सकता है।



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 281]

भोपाल, गुरुवार, दिनांक 10 जुलाई 2014—आषाढ़ 19, शक 1936

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग

“निर्वाचन भवन”

58, अरेरा हिल्स, भोपाल (मध्यप्रदेश) — 462 011

आदेश

भोपाल, दिनांक 10 जुलाई 2014

क्र. एफ-70-80-तीन-2014-339.—मध्यप्रदेश नगरपालिका निर्वाचन नियम 1994 के नियम 42 “क” में यह उपबंधित है कि “निर्वाचनों में मतदान मशीनें” द्वारा मतदान में मत ऐसी रीति से डाले और रिकार्ड किये जायेंगे जैसा कि राज्य निर्वाचन आयोग नगरीय निकायों के लिये प्रत्येक मामले की विशिष्ट परिस्थितियों को ध्यान में रखकर निर्दिष्ट करे।

2. आयोग ने नगरीय निकाय नगर परिषद् पीपलरांवा एवं नगर परिषद् टोंकखुर्द जिला देवास की परिस्थितियों पर विचार किया है और संतुष्ट है कि नगर परिषद् पीपलरांवा एवं नगर परिषद् टोंकखुर्द जिला देवास में मतदान के लिए पर्याप्त संख्या में इलेक्ट्रॉनिक मतदान मशीनें उपलब्ध हैं, मतदान कर्मचारी इलेक्ट्रॉनिक मतदान मशीन को दक्षता पूर्ण संचालन करने के लिये प्रशिक्षित हैं तथा मतदाता भी इलेक्ट्रॉनिक मतदान मशीनों की कार्यप्रणाली से पूर्णतया परिचित हैं।

3. अतः अब नगर परिषद् टोंकखुर्द एवं नगर परिषद् पीपलरांवा जिला देवास के आम निर्वाचन 2014 में म. प्र. नगरपालिका निर्वाचन नियम 1994 के अधीन निर्धारित रीति से इलेक्ट्रॉनिक मतदान मशीनों के माध्यम से मत डाले जायेंगे और रिकार्ड किये जायेंगे तथा जैसा कि इस विषय पर आयोग द्वारा समय-समय पर अनुपूरक अनुदेश जारी किये गये हैं।

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के आदेश से,

हस्ता./-

(जी. पी. श्रीवास्तव)

सचिव,

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल।